भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4783
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं

4783. डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में अब तक प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने लोगों को लाभ मिला है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या भावी योजनाएं हैं;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए चिकित्सा महाविद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या नए क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक अग्रणी योजना है जिसमें 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमज़ोर निचले तबके का 40% है , को मध्यम स्तरीय और विशिष्ट परिचर्या वाले अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। मार्च 2024 में, इस योजना के तहत पात्रता मानदंड का विस्तार करके 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाकर्मियों), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया था। हाल ही में 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, को शामिल करने के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से इस योजना का विस्तार किया गया है। दिनांक 26.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर, देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एबी-पीएमजेएवाई को अपना लिया है।

दिनांक 01.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 36.75 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत 1.26 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 8.9 करोड़ से अधिक अस्पताल भर्तियाँ प्राधिकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना को आवश्यकतानुसार समय-समय पर लाभार्थी आधार का विस्तार, नई प्रक्रियाओं को शामिल करना, नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करना और अन्य सुधार जैसे नियमित अद्यतन कार्य किए जाते हैं।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का प्रचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण पद्धति पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से 131 मेडिकल कॉलेज कार्यात्मक हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, सरकार ने लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकारों का समर्थन करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। एनएचएम स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और सीमान्त क्षेत्रों के समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के तहत, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में दर्शाई गई आवश्यकताओं तथा उनके समग्र संसाधन-सीमा के आधार पर सभी राज्य सरकारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने देश भर में दिसंबर 2022 तक 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) [अब इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर(एएएम) कर दिया गया है] की स्थापना की घोषणा की है। देश भर में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) उपलब्ध कराने के लिए एएएम में बदल दिया गया है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं, जो सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के करीब हैं। दिनांक 28.02.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एएएम पोर्टल में अपडेट किए गए अनुसार कुल 1,76,573 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना और प्रचालन किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसे बढ़ाने के उद्देश्य से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) सहित सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) शुरू किए गए हैं। भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सेवाओं के मानक और गुणवत्ता में सुधार करना और जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए एक समान बेंचमार्क प्रदान करना है। इन मानकों में सेवाओं, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, निदान, उपकरण, दवाइयों आदि के लिए मानदंड शामिल हैं।

*****